I/776/2023

सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/**A3-70**/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति–कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 30 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या : 1161 दिनांक 24.03.2023 एवं पत्र संख्या : 104 दिनांक 11.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **शहीद कैप्टन डी0के0 खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिनेशपुर, ऊधमसिहंनगर को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट प्रति सत्र के साथ शैक्षिक सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण** प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	शहीद कैप्टन डी0के0 खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिनेशपुर, उधमसिंह नगर।	बी0 एड0	100	शैक्षिक सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation, Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी तथ्यों का उल्लेख किया जाए।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2023 03:43 pm

I/776/2023

- विश्वविद्यालय संस्थान से सोसाइटी के पंजीकरण का नवीनीकरण करवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा एन.सी.टी.ई. के मानकानुसार अध्ययनरत छात्रों के व्यवहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) एवं स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप हेतु जो व्यवस्था की गई है तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 26-08-2023 16:50:31

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 776 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-70 /2021 तददिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रदाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ट/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 30/08/2023 03:43 pm